संख्या-22 /2021/76357/2021/71-4099/828/2019-4

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 02 जुलाई, 2021

विषय-: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निर्माणाधीन 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-629/ई/यूपीयूएमएस/अनु0/2021-22 दिनांक 03-06-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणाधीन 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-15/2016/4233/71-2-15-एस-17/2015, दिनांक 04.02.2016 द्वारा रू0 17677.25 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू०7627.4335 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है-:

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	15/2016/4233/71-2-15-एस-17/2015 दिनांक 04.02.2016	1078.61
2	24/2016/855/71-2-15-एस-17/2015 दिनांक 01.03.2016	2532.38
3	25/2016/744/71-2-16-एस-17/2015 दिनांक 01.03.2016	758.31
4	42/2018/947/71-2-18-एस-17/2015 दिनांक 08.03.2018	2541.75
5	14/2019/1860/71-4-19-एस-17/2015 दिनांक 03.12.2019	261.8175
6	40/2020/2069/71-4-20-एस-17/2015 दिनांक 18.12.2020	454.566
	योग	7627.4335

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 से उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणाधीन 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना हेतु रू० 1700.00 लाख (रूपया सत्तरह करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-:

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी०एल०ए० में नहीं रखा जायेगा।
2. अनुदान संख्या-31 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
3. परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. परियोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों तथा भवन निर्माण संबंधी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगें।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-31 -चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्ष) के लेखा शीर्षक ''4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-अयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-ऐलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी (बजट), चिकित्सा शिक्षा विभाग,उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/इटावा।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।